

(1)

8881

17.5.19

निरीक्षण प्रतिवेदन

मंदिर का नाम:-	श्री मुरली मनोहर मंदिर द्वारिका, (गुजरात)
मंदिर की श्रेणी:-	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार
निरीक्षण दिनांक:-	11 एवं 12 मई, 2019

मंदिर का इतिहास:- उक्त मंदिर का निर्माण संवत् 1930 में वीकानेर महाराजा श्री गंगासिंह जी द्वारा करवाया गया था। उक्त मंदिर द्वारिका के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर से 200 मीटर दूर गौमती घाट पर स्थित होकर द्वारिका के प्रमुख स्थल पर है।

मंदिर का निर्माण:- मंदिर का निर्माण 7038 वर्ग फीट के प्लॉट पर होकर कंपनी शैली में निर्मित किया गया है। नीचे की ओर दो हॉल, दो कमरे एवं बरामदा निर्मित है। ऊपर प्रथम तल पर मंदिर निर्मित है। वर्तमान के फोटो भी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये गये हैं। द्वितीय तल पर भी दो कमरे निर्मित हैं, जो शिखर के साईड में बने हैं। मंदिर का मुख्य दरवाजा बस्ती में खुलता है। जहाँ ज्यादा आवाजाही नहीं है। मंदिर के दरवाजे के पास दो कमरे निर्मित हैं एवं दरवाजे के ऊपर भी एक हॉल है जिसमें चौकीदार निवास करता है। मंदिर में मरम्मत की आवश्यकता है। समुद्र के किनारे अवस्थित होने से समुद्री हवा के कारण मंदिर जर्जर हो रहा है। इसमें तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है।

मंदिर की आय:- मंदिर में नगण्य आय है। मंदिर में लोगों की आवाजाही नहीं होने से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है, ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित हॉल एवं कमरे श्री रणजीत पण्डा (भाटिया) को किराये पर दिये गये थे। किरायेदार की मृत्यु हो गई है। उसके पुत्र श्री मनोज भाटिया वर्तमान में हैं। किन्तु वे किराया जमा नहीं करा रहे हैं, जबकि मात्र 955/- रु. माहवार किराया है। उक्त हॉल एवं कमरों की मरम्मत की नितांत आवश्यकता है।

मंदिर की संपदा:- मंदिर के साथ निकट ही 840 वर्ग फीट पर एक धर्मशाला निर्मित है, जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर एक हॉल, एक कमरा एवं लेट्रीन बाथरूम निर्मित है। ऐसा ही प्रथम तल पर भी है। उक्त निर्माण राज्य मद से 2013-14 में 25 लाख रु. स्वीकृत करा शुरू किया गया था, जो मई 2014 में कार्य पूर्ण होकर 31,53,544/- रु. व्यय हुए। ठेकेदार मैसर्स देवदर्शी पाटीदार द्वारा उक्त कार्य किया गया।

उल्लेखनीय है कि 2014 में कार्य पूर्ण होने के बाद भी आज दिनांक उक्त धर्मशाला को किराये पर नहीं दिया गया है एवं धर्मशाला रिक्त रहने से खराब हो गई है। इसमें पुनः मरम्मत की आवश्यकता है। इसके लिये सहायक आयुक्त सीधे-सीधे दोषी हैं।

अतिक्रमण:- मंदिर एवं धर्मशाला के बीच एक गली है, लेकिन वर्तमान में उस पर फाटक लगाकर वल्लभ भाई साधू ने अपने मकान में मिला रखा है। सहायक आयुक्त को पाबंद किया जाता है कि रिकॉर्ड देखकर ये जो अतिक्रमण हुआ है, इसके विरुद्ध कार्यवाही की जावे। इसी तरह मंदिर के दायीं ओर मंदिर की दीवार पर पड़ौसी द्वारा अपनी दीवार बनाकर लगभग 10 फीट का बाथरूम बनाया गया है। मौके पर उक्त अतिक्रमी को दीवार हटाने के लिये पाबंद किया गया। इस मामले में भी सहायक आयुक्त द्वारा समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

संस्थापना:- मंदिर में एक प्रबंधक, एक पुजारी एवं एक चौकीदार का पद स्वीकृत हैं। प्रबंधक एवं पुजारी का पद रिक्त है। इस पर पदस्थापन किया जाना आवश्यक है।

चौकीदार के पद पर श्री हुक्का भोई कार्यरत है, जो 17 वर्ष से वहाँ पदस्थापित है, इन्हें 27,100/- रु. मासिक वेतन मिलता है।

उपसंहार:- उक्त मंदिर मौके की जगह पर अवस्थित है। द्वारिका के हृदय स्थल गौमती घाट पर उक्त मंदिर स्थित है। मंदिर के पीछे की ओर 25 फीट रोड़ के बाद नगर पालिका द्वारा मुख्य द्वारिकाधीश मंदिर की पार्किंग विकसित की गई है। पार्किंग से लगे हुए स्थान पर विशाल सनसैट पॉईंट भी बनाया गया है, जहां हमेशा भीड़ रहती है। ऐसी स्थिति में यदि मंदिर का मुख्य दरवाजा पीछे पार्किंग की तरफ खोल दिया जाये एवं वहां पर मुख्य दरवाजे के दोनो तरफ दो-दो दुकाने बना दी जाये तो मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन भी बढ़ेगा एवं मंदिर की आय भी बढ़ेगी।

उक्त मंदिर का समय-समय पर सहायक आयुक्त / निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। ताकी उक्त मंदिर का रख-रखाव ठीक से हो सके एवं आय भी बढ़े, अब तक सहायक आयुक्त द्वारा उक्त मंदिर का विजीट नहीं किया गया है उनसे जवाब-तलब भी किया जाना उचित होगा।

(दिनेश कोठारी)

अतिरिक्त आयुक्त

देवस्थान विभाग,

उदयपुर

क्रमांक- एफ1(5)पी.ए./अति.आयुक्त/देव/16/ 882-84 दिनांक :- 12.5.19
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग राजस्थान-उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव को पालनार्थ प्रेषित है।
3. निरीक्षक, बासंवाड़ा को पालनार्थ।

आगत (निरीक्षण) M put up before
comm. 4/2

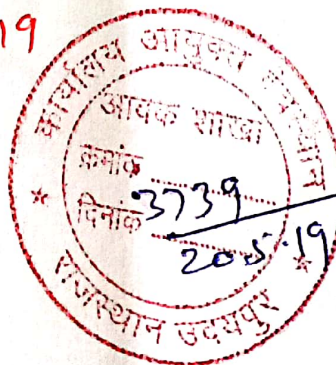
(दिनेश कोठारी)

अतिरिक्त आयुक्त

देवस्थान विभाग,

उदयपुर

17.5.19



606
17.5.19